

D-94

जप्तीपत्रक

थाना- इओडब्ल्यू/एसीबी0, रायपुर, जिला रायपुर

अपराध क्रमांक- 9/2015 धारा 13 (1)डी 13(2) पीसीएक्ट 1988
एवं सहपठित धारा 109, 120 बी0 भादवि0

स्थान जप्ती- कार्यालय इओडब्ल्यू0 रायपुर

दिनांक व समय जप्ती- 20.3.2015 के 13.00 बजे

किससे जप्त किया - श्री के0के0राठी, पिता- स्व0 गोविंददास राठी, उम्र- 53, पद-
वेयर हाउस सहायक, ग्रेड-1, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम,
भाटापारा क्रमांक. 1, निवास- धुरंधर निवास, सुभाष वार्ड,
भाटापारा, स्थायी पता- आनंद परिसर, धनार्य कालोनी, गली
नं0 8 नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर के पेश करने पर ।

किसके समक्ष जप्त किया- (1) आरक्षक श्री शिवशरण साहू, एसीबी0 रायपुर
(2) आरक्षक श्री शिवप्रसाद साहू, एसीबी0 रायपुर

कारण जप्ती- वजह सबूत में ।

विवरण-

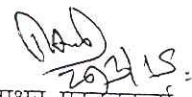
(1) केन्द्रीय भण्डार गृह निगम, भाटापारा क्र. 1 के गेट एन्ट्री एवं एक्जिट रजिस्टर जिनमें प्रकरण से संबंधित अमृत नमक के दिनांक 7.5.2014, 8.5.2014, 9.5.2014 एवं 10.5.2014 में माल जमा होने का ट्रको का विवरण दर्ज है तथा दिनांक 19.6.2014 एवं 23.6.2014 को माल वापस होने का ट्रको का विवरण दर्ज है। 2 नग मूल रजिस्टर ।

(2) केन्द्रीय भण्डार गृह निगम, भाटापारा क्र. 1 को नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा प्रस्तुत डिपॉजिट फार्म जिसमें अमृत नमक जमा करने दिनांक 7.5.2014, 8.5.2014, 9.5.2014 एवं 10.5.2014 में एवं माल वापसी से संबंधित गेट पास/ट्रक चीट दिनांक 19.6.2014 एवं 23.6.2014 से संबंधित दस्तावेज पृ 1 से 10 तक ।

नोट- सभी जप्त दस्तावेजों में जप्ती के दौरान प्रस्तुतकर्ता एवं साक्षियों के हस्ताक्षर लिये गये हैं ।

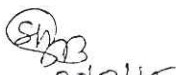
हस्ताक्षर गवाह

(1) 


हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर जप्तीकर्ता


20/3/15

(2) 
20/3/15

प्रतिपक्ष पक्ष


20/3/15

संस्तुत प्रति

(एस.डी.देवस्थाली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)